म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/अके/विभा/1077/ 1745 भोपाल, दिनांक 23 /09/19

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.....समस्त............

विषयः-संभागर्तगत मंडी समितियो का बजट स्वीकृत न करना एवं केश बुक का अधतन संधारण नही करने बाबत।

--0--

विषयान्तर्गत आपके अधीनस्थय मंडी समितियो की प्रतिमाह आयोजित मासिक बैठक मे आपके द्वारा मंडी समितियो मे बजट स्वीकृत किये बिना भुगतान करना,केश बुक का अधतन संधारण नही करना, बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नही करने एवं मंडी समितियो मे स्टाक पंजी का संधारण नही करने जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओ की समीक्षा न कर मात्र औपचारिक रूप से मासिक बैठक संपादित की जाने के फलस्वरूप विभागीय अंकेक्षण के दौरान मंडी समितियो मे बजट स्वीकृत किये बिना भुगतान करने, केश बुक का अधतन संधारण नही करना, बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नही करना एवं स्टाक पंजी का संधारण आदि गम्भीर वित्तीय अनियमितताए प्रकाश मे आयी है। उल्लेखनीय है कि संभाग की मंडी समितियां आपके अधीनस्थ्य होने के साथ साथ प्रतिमाह आंचलिक कार्यालय की मासिक बैठक मे उक्त बिन्दुयो की समीक्षा नही करना अत्यंत खेदजनक है। जो कि आपके द्वारा उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितताओ को प्रश्रय देने की श्रेणी मे आता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान मे आपके संभाग की किन किन मंडी समितियो मे बजट स्वीकृत किये बिना भुगतान करने एवं केश बुक का अधतन संधारण नही करने संबंधी पूर्ण विवरण सहित जानकारी संकलित कर 03 दिवस मे अपर संचालक वित्त के ई मेल पर अनिवार्यरूप से भेजना सुनिश्चित करे। दिनांक 30.09.19 के पश्चात आपके संभाग की किसी मंडी समिति मे इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश मे आने पर आपके विरूद्व कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं रहेंगा।

17/9/19

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/अके/विभा/1077/ 1746 भोपाल, दिनांक 23 /09/19

प्रतिलिपिः-

समस्त भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति ....समस्त........ की ओर भेजकर लेख है उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु।

17/9/19

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल